
## APPLICATIONS ARE INVITED ON NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL FOR THE FOLLOWING SCHEMES (15<sup>TH</sup> JUNE 2025 TO 30<sup>TH</sup> SEP 2025)


## PRE-MATRIC SCHOLARSHIPS




INCOME - MAX RS. 0.24 LAKH P.A.

DISABILITY PRE-MATRIC (CLASS 1 TO 8) FOR 1 TO 5 : RS. 600 AS SCHOLARSHIP

FOR 6 TO 8 : RS. 960 AS SCHOLARSHIP




## PRE-MATRIC SCHOLARSHIPS




SC PRE-MATRIC (1-10) COMPONENT II FOR CHILDREN OF SAFAI KARMCHARIS

NO CASTE BOUNDATION NO INCOME LIMIT

RS. 3500 FOR DAY SCHOLARS
RS. 8000 FOR HOSTELLERS



## POST-MATRIC SCHOLARSHIPS



- ALL COURSES HAVE BEEN GROUPED INTO 4
- ACADEMIC ALLOWANCES FOR ALL CATEGORIES ARE DIFFERENT (DETAILS AVAILABLE ON WEBSITE)
- IN SC AND ST SCHOLARSHIP, TUITION FEE REIMBURESEMENT IS SUBJECT TO FEE STRUCTURE BEING APPROVED BY FEE FIXATION COMMITTEE. THE FEE STRUCTURE OF GOVT. INSTITUTES IS TAKEN INTO ACCOUNT.
- UNDER OBC/EBC SCHOLARSHIP THE TUITION FEE REIMBURSEMENT HAS BEEN FIXED BY GOI. THIS SCHEME IS FUND LIMITED.
- AADHAR SEEDED BANK ACCOUNT DETAILS TO BE ENTERED MANDATORILY AT THE TIME OF REGISTRATION
- DIFFERENTLY ABLED STUDENTS MAY APPLY UNDER THEIR RESPECTIVE CATEGORY (SC/ST/OBC/EBC(GEN))

NSP URL: https://scholarships.gov.in/




1800 180 4236 (TOLL FREE)

6395221188( WHATSAPP & CALL)







# <u>राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निम्नवत छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं</u> पूर्वदशम छात्रवृत्ति

पूर्वदशम छात्रवृत्ति

<u>(15-जून-2025 से 30-सितंबर-2025 तक)</u>

आय सीमा रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम

अनु0 जाति पूर्वदशम (कक्षा 9 से 10) कम्पोनेंट।

रु. 3500 की छात्रवृत्ति डे स्कॉलर को

रु. 7000 की छात्रवृत्ति होस्टलर छात्रों को

सफाई कर्मियों के बच्चों हेतु

अनु0 जाति पूर्वदशम (कक्षा 1 1 से 10) कम्पोनेंट॥

अनु0 जनजाति पूर्वदशम

(कक्षा 9 से 10)

कोई आय सीमा नहीं

रु. 3500 डे स्कॉलर हेतु

प्रतिवर्ष अधिकतम रु. 3000 डे स्कॉलर हेतु

रु. 6250 होस्टलर हेतु

## दशमोत्तर छात्रवृत्ति

आय सीमा रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम

> अकादमित अलाउंस एवं ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति

कोर्स एवं संस्थान का मान्यता प्राप्त होना एवं संबद्धता होने अनिवार्य

• दशमोत्तर कक्षाओं के कोर्स को 4 ग्रुप में बांटा गया है।

अनु0 जाति/ अनु0

जनजाति/ औबीसी एवं

ईबीसी वर्ग हेतु दशमोत्तर

छात्रवृत्ति

- दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को अकादिमक अलाउंस (ग्रुप के अनुसार) एवं
- ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (तय सीमा तक) प्रदान की जाती है।

   अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति दशमोत्तर योजनाओं में ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के क्रम में की जाती है। फीस निर्धारण नहीं होने पर अशासकीय कॉलेजों में शासकीय कॉलेज की दरों पर प्रतिपूर्ति होती है।
- ओबीसी एवं ईबीसी वर्ग की दशमोत्तर कक्षाओं हेतु ट्रूयूशन फीस प्रतिपूर्ति को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इस वर्ग हेतु योजना फंड लिमिटेड
- छात्रवृत्ति आवेदन के समय आधार सीडिंग वाले बैंक खाते की सूचना अंकित किया जाना अनिवार्य है। आधार सीडिंग नहीं होने पर भुगतान संभव नहीं होगा।

### **NSP URL: HTTPS://SCHOLARSHIPS.GOV.IN**

1800 180 4236 (TOLL FREE)

6395221188( WHATSAPP & CALL)





swditcell@gmail.com socialwelfare.uk.gov.in

कोई आय सीमा नहीं कक्षा 1 से 5 : अनु0 जाति/ अनु0 रु. 600 की छात्रवृत्ति जनजाति पूर्वदशम (कक्षा 1

> कक्षा 6 से 8 : रु. 960 की छात्रवृत्ति

आय सीमा रु. 0.24 लाख प्रति वर्ष

दिव्यांग पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 8)

से 8)

कक्षा 1 से 5 : रु. 600 की छात्रवृत्ति

कक्षा 6 से 8 : रु. 960 की छात्रवृत्ति

आय सीमा रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम

ओबीसी एवं ईबीसी (सामान्य वर्ग) पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10)

रु. 4000 छात्रवृत्ति के रूप

केवल शासकीय विद्यालयों के छात्रों हेतु

में देय

कोई जाति बंधन नहीं

रु. 8000 होस्टलर छात्रों हेतु

आय सीमा रु. 2.50 लाख

छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति

दिव्यांग छात्र अपने वर्गानुसार भी छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं।